अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2021 (ऑन लाईन नं. 212108509933634) (GCMS 2021/114) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर **(पोस्टल ऑर्डर संख्या 52एफ/509329)** **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17.06.2021 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का पत्रांक 1377–78 दिनांक 02.06.2017 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से [illegible] क उपरोक्त पत्रांक पर की गयी कार्यवाही की [illegible] कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र में अंकित [illegible] में सभापति नगर[illegible] श्रीगंगानगर के (पत्रांक) निर्णय [illegible]नांक 11.05.2017 के [illegible] में की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्रांक 1377—78 दिनांक 02.06.2017 के पैरा संख्या एक में अंकित बीएलओ सुभाष के विरूद्ध की गयी कार्यवाही आज तक की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित
5. पत्रांक 1377—78 दिनांक 02.06.2017 के पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्यों के संबंध में मलकीयत सिंह सचिव तत्कालीन नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अधूरी जांच रिपोर्ट भेजने पर उनके विरूद्ध धारा 1950 की 32 आर.पी.एक्ट. व आर.पी. एक्ट. 1851 की धारा 136 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना न करने पर मलकीयत सिंह के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही की जाने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. आपके विभाग के पत्रांक 1216 दिनांक 04.08.2014 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के पत्रांक की प्रमाणित प्रति।
8. लोकसभा चुनाव 2014 में बीएलओ श्री सुभाष गोयल द्वारा कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 की सूचना व प्रमाणित प्रति जो बीएलओ द्वारा उपपंजीयक को प्रस्तुत की गयी थी।
9. उपपंजीयक के पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 जो उपपंजीयक, महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को लिखा गया था, उसकी प्रमाणित प्रति।
10. श्रीमान् उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्राक 2224 दिनांक 28.06.2018 के संदर्भ में तत्कालीन उप पंजीयक व वर्तमान उप पंजीयक द्वारा बीएलओ को लोकसभा चुनाव 2014 में कार्य निष्पादन करना व जोधपुर उच्च न्यायालय में उपस्थित होने हेतु एवं मुख्यालय छोडने की स्वीकृति देने की कथित शिकायत के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्र[illegible] प्रति।
11. पत्रांक 2224 दिनांक 28.06[illegible]8 [illegible] साथ संलग्न माननीय मुख्यमंत्री कार्या[illegible] [illegible] की [illegible]यी कार्यवाही जो लोकसभा [illegible] में है व बीएलओ श्री सुभाष गोयल व उप पंजीयक, [illegible]गंगानगर द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध मे है, पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील सूचना अधिकार संख्या 73/2021

12. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मकार या बीएलओ द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान विधि विरूद्ध या अनैतिक कार्य करने पर जिम्मेदारी मूल विभाग की या प्रतिनियुक्ति विभाग की होगी इस बाबत विभागीय सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2021/1701 दिनांक 14.07.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का पत्रांक 1377—78 दिनांक 02.06.2017 आपके कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	पत्र पहुंचने की दिनांक 06.06.2017 क्रमांक 2068
2	पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.04.2020 तक उपरोक्त पत्रांक पर की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	आप द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है। आत यदि आप सूचना संबंधित किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो नियमानुसार कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकते है व वंछित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है।
3	पत्र में अंकित विषय वस्तु [illegible] सम्बन्ध में [illegible] नगरपरिषद, [illegible] (पत्रांक) निर्णय दिनांक 11.05.2017 के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	[illegible] का अधिकार [illegible] 2005 की धारा [illegible] के अनुसार सूचना [illegible] देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो व प्रश्नात्मक न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		4	पत्रांक 1377–78 दिनांक 02.06.2017 के पैरा संख्या एक में अंकित बीएलओ सुभाष के विरूद्ध की गयी कार्यवाही आज तक की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित	सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है न ही स्वयं का मत दे सकते है। सामग्री में से ऐसे कुछ तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना का अधिकारी का काम नहीं है। अतः यदि आप सूचनाओं संबंधि किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो नियमानुसार कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकते है व वांछित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है।		
		5	पत्रांक 1377–78 दिनांक 02.06.2017 के पैरा संख्या 2 में अंकित तथ्यों के संबंध में मलकीयत सिंह सचिव तत्कालीन नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अधूरी जांच रिपोर्ट भेजने पर उनके विरूद्ध धारा 1950 की 32 आर.पी.एक्ट. व आर.पी. एक्ट. 1851 की धारा 136 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।			
		6	उच्चाधिकारियों के आदेश की पालना न करने पर मलकीयत सिंह के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही की जाने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।			
		7	आपके विभाग के पत्रांक 1216 दिनांक 04.08.2014 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण [illegible] पत्रांक की प्रमाणित [illegible]	[illegible] के अधिकार [illegible]धिनियम 2005 की धारा [illegible] के प्रावधानान्तर्गत [illegible]चना अत्यधिक पुरानी होने के कारण इसकी आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन		
		8	उपपंजी[illegible] के पत्रांक [illegible] दिनांक 05.08.2014 जो उपपंजीयक, महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को लिखा गया था, उसकी प्रमाणित प्रति।			

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9	उपपंजीयक के पत्रांक 41 दिनांक 05.08.2014 जो उपपंजीयक, महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को लिखा गया था, उसकी प्रमाणित प्रति।	होता है, अतः सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।
10	श्रीमान् उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्राक 2224 दिनांक 28.06.2018 के संदर्भ में तत्कालीन उप पंजीयक व वर्तमान उप पंजीयक द्वारा बीएलओ को लोकसभा चुनाव 2014 में कार्य निष्पादन करना व जोधपुर उच्च न्यायालय में उपस्थित होने हेतु एवं मुख्यालय छोडने की स्वीकृति देने की कथित शिकायत के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो व प्रश्नात्मक न हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है न ही स्वयं का मत दे सकते है। सामग्री मे से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। अतः यदि आप [illegible] नियमाओं संबंधि किसी [illegible] का निरीक्षण करना चाहें तो नियमानुसार कार्यालय
11	पत्रांक 2224 दिनांक 28.06.2018 के साथ संलग्न माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर के पत्रांक पर की गयी कार्यवाही जो लोकसभा चुनाव 2021 के संबंध में है व बीएलओ श्री सुभाष [illegible] व पंजीयक श्रीगंगानगर [illegible] की [illegible] संबंध [illegible] कार्यवाही की सूचना [illegible] कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मकार या बीएलओ द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान विधि विरूद्ध या अनैतिक कार्य करने पर जिम्मेदारी मूल विभाग की या प्रतिनियुक्ति विभाग की होगी इस बाबत विभागीय सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	समय में उपस्थित होकर निरीक्षण कर सकते हे व वांछित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी** चाहिए एवं **कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते** है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम** नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है। फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन अपीलार्थी को करवा देवें और वे यदि कार्यालय में उपलब्ध किसी निश्चित अभिलेख की सूचना चाहे तो उन्हें नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावें।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested